# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 205/2017 (जी.सी.एम.एस.संख्याः– 2017/00134)

1. मुटठल
2. शरीफखां
3. हमीदा
4. असरखां (फौत)
   4/1. असीमा पत्नी असरखां
   4/2. शोकत अली पुत्र असरखां
   4/3. सब्बीर पुत्र असरखां
   4/4. जमाल पुत्र असरखां
   4/5. राशिद पुत्र असरखां
   4/6. हासीम पुत्र असरखां
   4/7 सुहानिया पुत्री असरखां
5. हाजरखां मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
   5/1. हसीना पत्नी हाजरखां
   5/2. मुकीम पुत्र हाजरखां
   5/3. मुस्तकीन पुत्र हाजरखां
   5/4. मुस्तफा पुत्र हाजरखां
   5/5. रेहाना पुत्र हाजरखां
   दोनो नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता हसीना पत्नी हाजरखां
   5/6. असमीना पुत्री हाजरखां
   5/7. अफसाना पुत्री हाजरखां
   5/8. वसीमा पुत्री हाजरखां
   समस्त जाति मेव निवासी ग्राम अबनपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
6. ईसराइल
7. ईदरीस
8. बसीर
9. मजीद पुत्रान नजीरा जाति मेव निवासी ग्राम पिपलान तहसील तिजारा जिला अलवर
10. शहाबुदीन मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
    10/1. जायदा पत्नी साहबुददीन
    10/2. इरशाद पुत्र साहबुददीन
    10/3. इकबाल पुत्र साहबुददीन
    10/4. आरिफखां पुत्र साहबुददीन
    10/5. अरशीदा पुत्री साहबुदादीन
    10/6. शेहरूना पुत्री साहबुददीन
    10/7. शर्मिला पुत्री साहबुददीन सभी जाति मेव निवासीयान ग्राम पिपलान तहसील तिजारा जिला अलवर।
11. सुबेदीन पुत्रा नजीरा जाति मेव निवासी ग्राम पिपलान तहसील तिजारा जिला अलवर
12. बुधसिंह पुत्र श्री अमीर जाति मेव निवासी ग्राम बडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

बनाम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. मायाबाई तथाकथित पुत्री श्री गुरदत्तसिंह पत्नि श्री तारसिंह उर्फ अवतारसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला अलवर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत हमीराका हाल पंचायत जोजाका तहसील तिजारा जिला अलवर

—रेस्पोडेण्ट्स

3. रूकयूदीन पुत्र नजीरा जाति मेव निवासी पिपलाना तहसील तिजारा

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

राजस्व अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज दिनांक 15—12—2016 प्रकरण सं. 35/2016 बमुराद मंसूखी उपरोक्त निर्णय तहत अदालत एवम स्वीकार किए जाने अपील अपीलाण्टस व दिलाये जाने खर्चा मुकदमा एंव अन्य न्यायोचित अनुतोष।

**निर्णय**

दिनांक 06.03.2024

उपस्थितः—

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड़, वकील अपीलान्टस।
2. श्री विजयसिंह राठौड़, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.12.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हमीराका हाल ग्राम पंचायत जोजाका द्वारा इन्तकाल संख्या 1185 ग्राम पीपलाना के खातेदार गुरदत्तसिह की विरासत के नामान्तरकरण खोले जाने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामान्तरकरण 1185 पर निर्णय दिनांक 05.06.2014 एवं 27.06.2014 को उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहॉ अपील करने पर न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1185 पर निर्णय दिनांक 05.06.2014 एवं 27.06.2014 को अपास्त कर तहसीलदार तिजारा को रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार तिजारा द्वारा गुरदत्तसिंह की विरासत का नामा0 1185 को नियमानुसार मायाबाई पुत्री गुरदत्तसिंह पत्नी श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिह के हक में किये जाने के आदेश दिनांक 15.12.2016 को दिये गये।

3. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तिजारा दिनांक 15.12.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई तथा उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

5. अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

64, 68, 69, 70, 93 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला अलवर राज० हैं । उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार गुरूदत्तसिंहपुत्र श्री धर्मसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा जिला अलवर राज० था। धर्मसिंह के दो पुत्र गुरूदत्तसिंह व फौजासिंह हुये। गुरुदत्तसिंह एंव फौजासिंह का स्वर्गवास हो गया। गुरुदत्तसिंह बिना औरत बिना औलाद मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसके कोई स्वयं का पुत्र व पुत्री नही था। इस कारण गुरूदत्तसिंह की विरासत का इंतकाल संख्या 318 दिनांक 18–07–1985 को शेरसिंह पुत्र फौजसिंह के हक में तस्दीक किया गया। और राजस्व रिकार्ड में शेरसिंह के नाम खातेदारी का अंकन कर दिया गया। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय तहत अदालत अपास्त किये जाने योग्य हैं। शेरसिंह पुत्र फौजासिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16–10–1985 को अपीलान्ट सं. 12 बुधसिंह को कर दिया, और प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया। उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 546 तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में बुधसिंह के नाम खातेदारी का अंकन कर दिया गया। शेरसिंह पुत्र फौजासिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 69 रकबा 19 बिस्वा, 70 रकबा 8 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 02–05–1997 को अपीलान्ट सं. 6 ला. 11 के पिता नजीरा को कर दिया, और प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया। उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 561 तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में नजीरा के नाम खातेदारी का अंकन कर दिया गया। नजीरा का स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत अपीलान्ट सं. 6 ला.11 को प्राप्त हुई है। जो नजीरा के जायज वारिस जायदाद है। शेरसिंह पुत्र फौजासिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 04–09–1990 को प्रीतमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह व देवती बाई स्त्री लक्ष्मणसिंह को कर दिया, और प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया। उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 438 तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में उक्त क्रेताओं के नाम खातेदारी का अंकन कर दिया गया। तत्पश्चात विवादित आराजी खसरा नम्बर 93 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01–06–1994 को प्रीतमसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह व देवती बाई स्त्री लक्ष्मणसिंह ने अपीलान्ट सं.1 ला 5 को कर दिया, और प्रतिफल प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया। उक्त बयनामा के आधार पर इंतकाल संख्या 503 तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट सं.1 ला.5 के नाम खातेदारी का अंकन कर दिया गया। उपरोक्तानुसार हम अपीलान्टस वर्तमान में विवादित आराजी पर बरोज खरीद से आज तक काबिज चले आ रहे है । और मौके पर कुल कार्य काश्तकारी करते चले आ रहे है। रिहायशी मकानात बने हुये हैं । हम अपीलान्टस सदभावी क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) हैं, और राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम खातेदारी का अंकन हो रहा है। विवादित आराजी से रैस्पाडेन्ट सं. 1 का कोई लेना देना नही हैं, रैस्पाडेन्ट सं.1 मृतक गुरूदत्तसिंह की पुत्री जायज वारिस काबिज जायदाद नही हैं, और उसकी विरासत प्राप्त करने की नैतिक एंव विधिक रूप से अधिकारी नही है । परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय तहत अदालत अपास्त किये जाने योग्य हैं। रैस्पाडेन्ट सं.1 ने अपने आपको मृतक गुरूदत्तसिंह की पुत्री होना बताते हुये, उसकी विरासत का इंतकाल सं. 1185 दिनांक 05–06–2014 को ग्राम पंचायत हमीराका से अपने हक में तस्दीक करा लिया। जिस इंतकाल को दिनांक 27–06–2014 को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया। जिस इंतकाल सं. 1185 दिनांक 05–06–2014 के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विरूद्ध रैस्पाडेन्ट सं. 1 ने राजस्व अपील संख्या 13/16 बअनुवान मायाबाई अपीलान्ट बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रैस्पाडेन्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज० के समक्ष पेश की गई। जिस अपील में हम अपीलान्टस व विक्रेता शेरसिंह को पक्षकार मुकदमा जानकारी के उपरांत भी नही बनाया गया। जिस अपील का निर्णय दिनांक 10–06–2016 को उक्त अपीलीय अदालत द्वारा पारित कर प्रकरण को पुनः जांच हेतु तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज० को प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर तहत अदालत तहसीलदार द्वारा अपीलान्टस को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–12–2016 को पारित किया गया है। जो निर्णय पीडित पक्षकार को बिना सुने विधिक प्रक्रिया एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया है। इसलिए अपास्त किये जाने योग्य हैं। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी व तहत अदालत तहसीलदार द्वारा अपीलान्टस व विक्रेता शेरसिंह को बिना सुने निर्णय पारित किये है। तहत अदालत द्वारा मृतक के वारिसान की सही प्रकार जांच नही की गई अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर निर्णय न्यायालय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज० दिनांक 15–12–2016 प्रकरण सं. 35/2016 व इंतकाल संख्या 1185 खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम पिपलाना तहसील तिजारा रेस्पो0 सं 1 को अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुई है। रेस्पो0 सं 1 अपने पिता की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। अपीलांट का उक्त आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। इंतकाल में वर्णित आराजी के संबंध मे पूर्व में एक इतंकाल संख्या 318 गलत तौर पर स्वीकार किया गया था जिसकी प्रार्थीया द्वारा उप जिला कलक्टर तिजारा के यहॉ अपील पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना मे इंतकाल 1185 स्वीकार दिनांक 06.05.2014 को प्रार्थीया के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया तथा पुनः उक्त आदेश को रिव्यु करते हुये गलत तरीके से दिनांक 27.06.2014 को अस्वीकार कर दिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया के पिता की पैतृक भूमि है। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। प्रार्थीगण के पूर्वज जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रहे। उक्त विवादित भूमि अपीलांट को कभी भी बेचान नहीं की गई और ना ही अनका काबिज व कब्जा है। तथाकथित बैयानामा फर्जी व साजसी है। उक्त तथ्यों की जानकारी भी बखूबी होने के थी उक्त समस्त प्रकार की कार्यवाही अपील मात्र रेस्पोडेन्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा द्वारा भी सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत मृतक खातेदार गुरदत्तसिंह पत्नी श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिह के विधिक जायज वारिसान् के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 30.05.2017 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार गुरदत्तसिंह पत्नी श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिह की विरासत को लेकर है इस संबंध में हमारा विनम्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मत है कि ग्राम पंचायत हमीराका हाल ग्राम पंचायत जोजाका द्वारा इंतकाल सख्या 1185 स्वीकार दिनांक 06.05.2014 को प्रार्थीया के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया तत्पश्चात् पुनः रिव्यु करते हुये इन्तकाल संख्या 1185 पर निर्णय दिनांक 27.06.2014 से प्रार्थीया के पक्ष में अस्वीकार कर दिया गया। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। तत्पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के आदेश दिनांक 10.06.2016 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार जिसमें स्व0 गुरदत्तसिंह के एक ही लडकी है इसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है के आधार पर मृतक खातेदार गुरदत्तसिंह पत्नी श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिह की विरासत नियमानुसार मायाबाई पुत्री गुरदत्तसिंह के हक में किये जाने के आदेश दिनांक 15.12.2016 को दिये गये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

**अतः आदेश है किः** अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 15.12.2016 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर